केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which Application is made for copy accompained by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of Posting notice of notice board	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy.
22/6/22	24/6/22	29/6/22	29/6/22

नकल आदेश 12/7/19 पारित द्वारा न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर अयोध्या

नरेन्द्र देव तिवारी आदि बनाम सरकार उ0प्र0

वाद सं0 368/05017 अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0 ज0 वि0 अधिनियम

ग्रा0 मलिकपुर प0 हवेली अवध त0 सदर

जिला फैजाबाद उ0प्र0

कृष्ण प्रकाश तिवारी
प्रबन्धक
प0 मिश्री लाल राम राजी
शिक्षण सेवा संस्थान
मलिकपुर, डाभासेमर-अयोध्या

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर (जनपद–फैजाबाद)

नरेन्द्र देव तिवारी आदि————————बनाम————————सरकार।

वाद संख्या– 368/05017
अन्तर्गत धारा– 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता
ग्राम–मलिकपुर, परगना–हवेली अवध।
तहसील– सदर, जनपद–फैजाबाद।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री नरेन्द्र देव तिवारी, सत्य प्रकाश तिवारी व कृष्ण प्रकाश तिवारी पुत्रगण अम्बिका प्रसाद, निवासी मलिकपुर तहसील सदर फैजाबाद के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.19 के आधार पर इस आशय से प्रारम्भ हुई कि गाटा संख्या 845 रकबा 0.5670 हे0 स्थित ग्राम मलिकपुर मौके पर आबादी की शक्ल में है और अकृषिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उक्त गाटे को आबादी घोषित किया जाय। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 05.07.19 को प्राप्त होने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया।

तहसीलदार सदर की प्राप्त स्थलीय एवं अभिलेखीय आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रदत्त की गयी आख्या में यह कहा गया है कि गाटा संख्या 845 रकबा 0.5670 हे0 भूमि पर विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है तथा कृषि कार्य नहीं हो रहा है। धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अन्तर्गत उक्त गाटे को आबादी घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट दी गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मलिकपुर की गाटा संख्या 845 रकबा 0.5670 हे0 वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में अंकित है। वादी द्वारा उक्त गाटे को आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र शपथ पत्र तथा स्थल का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार सदर द्वारा दी गयी स्थलीय एवं अभिलेखीय आख्या के अनुसार उक्त गाटा को मौके पर आबादी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इस पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा किसी की ओर से कोई आपत्ति भी नहीं आयी है। ऐसी स्थिति में उक्त विवादित भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम मलिकपुर परगना हवेली अवध की गाटा संख्या 845 रकबा 0.5670 हे0 को अकृषिक घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि खाते को परता मुताबिक लगान मुक्त किया जाय तथा भूचित्र में इस रकबे को अलग रंग से दिखाया जाय और मौके पर चिन्हांकित भी किया जाय। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर को अनुपालनार्थ प्रेषित किया जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

12.7.19
(अमित गुप्ता)
उपजिलाधिकारी,
सदर–फैजाबाद

पढ़ने वाला ....
सुनने वाला ....
ह0 ह0 ..02/7/22......

कृष्ण प्रकाश तिवारी
प्रबन्धक
पं0 मिश्री लाल राम राजी
शिक्षण सेवा संस्थान
मलिकपुर, डाभासेमर-अयोध्या

श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील सदर अयोध्या

अनापत्ति बावत् निर्गत करने हेतु प्रमाणपत्र

गाटा सं० 845, — स्थित ग्राम मलिकपुर प० ह० अ०
त० सदर जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश
के अन्दर कोई चकमार्ग नाली इत्यादि स्थित
नहीं है।

महोदय,
प्रार्थी के आवेदन में इस आशय का प्रमाणपत्र मांगा गया है
कि गाटा सं० 845 के अंदर जो चकमार्ग नाली इत्यादि
नहीं है आबादी/सरकार की सम्पत्ति स्थित नहीं है उक्त
प्रमाणपत्र निर्गत कराया जाना जरूरी है क्योंकि उक्त
कार्य में उसकी आवश्यकता है। [illegible] रहित है मेरे
जांच में उक्त गाटा नाली चकरोड रास्ता, कब्रिस्तान श्मशान
जल मग्न भूमि नहीं है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है उक्त प्रमाणपत्र निर्गत
कराने की कृपा करें।

4/7/22

प्रार्थी
नरेन्द्र देव तिवारी सत्य प्रकाश
कृष्ण प्रकाश पुत्रगण श्री अम्बिका प्रसाद
तिवारी
नि० ग्राम मलिकपुर
प० ह० अ०
त० सदर
अयोध्या
उ०प्र०

राजस्व निरीक्षक/लेखपाल
कृ० जांच कर आख्या
दें।
04.07.2022
Teh(S)

महोदय, प्रार्थी नरेन्द्र देव तिवारी, सत्यप्रकाश, कृष्णप्रकाश पुत्रगण अम्बिका प्रसाद नि० मलिकपुर पर०-हवेली अवध तह० सदर जनपद अयोध्या के नाम राजस्व ग्राम मलिकपुर की गाटा सं० 845/0.567 हे० बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है भूखण्ड के अंदर चकरोड/चकमार्ग, रास्ता कब्रिस्तान/श्मशान अथवा जलमग्न भूमि नहीं है। आख्या सादर प्रेषित है।

[signature]
Malikpur
04.07.2022

महोदय, आख्या लेखपाल अग्रसारित।
[signature]
4-7-22
राजस्व निरीक्षक
तह० सदर

महोदय, आख्या रा० नि० अग्रसारित।
[signature]
04.07.22
तहसीलदार
सदर-अयोध्या

नरेन्द्र देव तिवारी
सत्य प्रकाश तिवारी
कृष्ण प्रकाश तिवारी

कृष्ण प्रकाश तिवारी
प्रबन्धक
पं० मिश्री लाल राम राजी
शिक्षण सेवा संस्थान
मलिकपुर, [illegible] अयोध्या